संख्या : 239/नौ-4-12-13लेखा/11

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 06 फरवरी, 2012

विषयः- मुख्य नगर लेखा परीक्षक के कर्तव्यों, दायित्वों एवं सम्परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय नगर आयुक्तों द्वारा शासन से मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिष्ठान, उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जिज्ञासायें की गयी हैं तथा निर्देशों की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिष्ठान, उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उनके कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :

1- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-118(क), (ख) तथा (ग) में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्राविधान किया गया है। अधिनियम की धारा-118(क) में लेखों के परीक्षण का तात्पर्य सम्वर्ती सम्परीक्षा के साथ ही प्री-आडिट, पोस्ट आडिट, परफार्मेन्स आडिट, आउटकम आडिट इत्यादि एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों के परीक्षण से है।

2- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली, 1960 के नियम-75 में मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा लेखों के मासिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षा की रीति के सम्बन्ध में निर्दिष्ट है कि समस्त भुगतानों की, जैसे ही व्यय किये जायें, लेखा परीक्षा की जायेगी तथा समस्त प्राप्तियों की, जैसे ही सामान्य रोकड़ के लेखे में दर्ज की जायें, परीक्षा की जायेगी। इसी प्रकार सहायक पुस्तकों तथा लेखों की परीक्षा प्रतिदिन अथवा मास के अन्त में; जैसा भी सुविधापूर्ण हो, की जायेगी। तात्पर्य यह है कि मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा अनिवार्यतः सम्वर्ती सम्परीक्षा किया जायेगा।

3- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली, 1960 के नियम-76 के अन्तर्गत लेखा परीक्षक द्वारा पायी गयी गम्भीर अनियमिततायें व्यक्तिगत रूप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक के ध्यान में लायी जायेंगी जो उस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए नगर आयुक्त को अभिदृष्ट करेगा।

4- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली, 1960 के नियम-77 के अन्तर्गत मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली, 1960 के नियम-78(1) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उठाये गये प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 02 महीने के भीतर ही एक

बैठक में विचार करेगी। कार्यकारिणी समिति एक संकल्प भी पारित करेगी जिसमें वह प्रत्येक प्रश्न पर अपना मत व्यक्त करेगी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, कार्यकारिणी समिति की समीक्षा सहित, निगम की आगामी बैठक में ऐसी कार्यवाही के निमित्त रखा जायेगा, जो निगम आवश्यक समझे।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका नियमावली, 1960 के नियम-78(2) के अन्तर्गत मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा महापालिका के बीच किसी मतभेद की दशा में मुख्य नगराधिकारी (नगर आयुक्त) मामले को राज्य सरकार को अभिदृष्ट करेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 142(2) के अन्तर्गत मुख्य नगर लेखा परीक्षक सभी निगम के लेखों का मासिक परीक्षक एवं लेखा परीक्षा भी की जायेगी और उसके द्वारा एक माह के अन्दर कार्यकारिणी समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जो ठीक पिछले माह के आय और व्यय का आब्सट्रैक्ट जिस पर मुख्य लेखा परीक्षक और कार्यकारिणी समिति के कम से कम दो सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, प्रकाशित करेंगे।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 143 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों से किसी भी समय निगम के लेखों के विशेष परीक्षण एवं लेखा परीक्षण हेतु निर्देश दे सकती है, जिसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जायेगी। इसी के साथ में धारा 144 के अन्तर्गत मुख्य नगर लेखा परीक्षक को परीक्षण एवं आडिट हेतु सभी अपेक्षित लेखे, अभिलेख एवं पत्राचार सुलभ होंगे।

उक्त प्राविधानों के कियान्वयन की दृष्टि से शासनादेश संख्या 3825/नौ-4-2011-13लेखा/201 दिनांक 27-7-2011 द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक के कार्यों के दायित्वों के सम्बन्ध में निर्देश पहले ही निर्गत किये जा चुके हैं।

10- मुख्य नगर लेखा परीक्षक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने हेतु शासनादेश 907(1)/नौ-4-96 दिनांक 19 अप्रैल, 1996 प्रभावी है, जिसके अनुसार नगर आयुक्त प्रतिवे अधिकारी एवं प्रमुख सचिव स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी है।

11- नगर निगम कार्यालय में तैनात मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधीनस्थ लेखा परीक्षकों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का रखरखाव कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार मुख्य नगर परीक्षक के नियंत्रणाधीन होगा और वही इन कर्मचारियों को नियमानुसार सेवा सम्बन्धी मामले निस्तारित अथवा संदर्भित करने के लिए अधिकृत होंगे।

12- मुख्य नगर लेखा परीक्षक के सेवा अभिलेखों का रखरखाव उ0प्र0 केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों की भाँति नगर आयुक्त के नियंत्रणाधीन नगर निगम के अधिष्ठान अनुभाग द्वार जायेगा। नगर आयुक्त द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक के सेवा सम्बन्धी मामलों अथवा स्वीकृत के मामलों में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 117(क) के कार्यकारिणी समिति का निर्णय प्राप्त कर ही किया जायेगा और तद्नुसार मुख्य नगर लेखा को संसूचित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 116(2) के अन्तर्गत निगम के प्राधि कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका अथवा विवाद होने पर नगर आयुक्त अथ यदि चाहें प्रकरण शासन को संदर्भित कर सकते हैं तथा शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

ये निर्देश उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-116(2) के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है। इन्हें कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा (नगर निकाय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. समस्त मुख्य नगर लेखा परीक्षक, उ0प्र0 नगर निगम।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से;

6.2.12

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।